राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3862/2022

रूपचन्द मेघवाल –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा, कोटा।
4. सुनिता भार्गव, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबी, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.08.2022
आदेश की दिनांक : 28.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन्दवा, कोटा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा, कोटा किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबी, बूंदी किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबी, बूंदी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा, कोटा स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किया गया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 10 माह की अल्प अवधि में ही किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने भगवान दास मित्तल बनाम सरकार में पारित आदेश का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा, कोटा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोटा से लगते हुए जिले बून्दी में ही किया गया है तथा स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में भी स्थानान्तरण आदेश की दिनांक 28.08.2022 तक दो वर्ष से ज्यादा समय शेष रहता है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति प्रकट नहीं होती है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the*

employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, प्रकरण में समंजन (Accommodate) किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य